UPGK010023872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–1008/2026

झुन्नु मीर उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र ईशू मीर, निवासी चतुर्भुजवा वार्ड नं०- 14 थाना शिकारपुर नरकटियागंज पं० चम्पारण, बेतिया, बिहार। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 08/2026
अंतर्गत धारा- 305(सी), 317(2), 317(4) भा०न्या०सं०
थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त झुन्नु मीर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1008/2026 मु0अ0सं0-08/2026 अंतर्गत धारा- 305(सी), 317(2), 317(4) भा०न्या०सं०, थाना- जी०आर० पी०, जनपद-गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अपनी पत्नी के साथत दिनांक 16.01.2026 को ट्रेन नं० 15033 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस से सिवान जं० से बादशाह नगर जं० तक की यात्रा M2 कोच सिट नं० 47, 48 में यात्रा कर रहे थे ट्रेन 22.28 बजे सिवान जं० से छुटी थी जब ट्रेन गोरखपुर से छूटी तो 10 मिनट बाद मेरी पत्नी प्रिया कुमारी पत्नी पंकज पाठक निवासी वरवा, पो० अंसाव, थाना आंदर, जिला सिवान (बिहार) को पता चला कि मेरी पत्नी का पर्स व मोबाईल जिसमें पर्स के अन्दर 15-20 हजार नगद व एक अंगूठी एक चैन व झुमका था उस पर्स में जो मोबाइल था उसका नं० 75187XXXXX व IMEI No.- 356848154955258 था पर्स का रंग चौकलेटी था काफी खोज-बिन करने के बाद भी समान नहीं मिला।

3. दिनांक 28.02.2026 को उपनिरीक्षक सरोज प्रसाद व उनके हमराहियान द्वारा अभियुक्त झुन्नू मीर पुत्र इशु मीर को गिरफ्तार किया गया व उसके जामा तलाशी से पहने हुए जींस पैंट के दाहिने जेब से दो अदद मोबाइल एण्ड्रायड फोन- एक मोटोरोला बारंग नीला व दूसरा नार्जो मोबाइल बारंग हल्का हरा व बायीं जेब से कुल 3,000/- रूपया नकद बरामद किये गए। उक्त दोनों

एण्ड्रायड मोबाइल फोनों के कागजात दिखाने से कासिर रहा, कड़ाई से पूछने पर बताया कि मोटोरोला मोबाइल मुझे, मेरे द्वारा चोरी किये गये लेडिज पर्स में मिला था जिसमें मुझे रूपया 10,12 हजार व कुछ जेवरात भी मिले ते, जेवरात मैने अलग-अलग अंजान व्यक्ति को कम पैसों में बेच दिया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, उसे उपरोक्त मुकदमे में गलत फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप असत्य व निराधार है, आवेदक/अभियुक्त का कथित बरामद मोबाईल से कोई सम्बंध नहीं है, आवेदक/अभियुक्त का कोई सिम उक्त मोबाईल में नहीं लगा है। आवेदक/अभियुक्त के पास से जो बरामदगी दिखाई गई है वह पूर्णतः फर्जी है जी०आर०पी० की पुलिस द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बरामद मोबाईल को आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामद बताकर झूठी कहानी रच कर फंसा दिया गया है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वंत्र गवाह नहीं है सिर्फ जी०आर०पी० के पुलिस वाले ही गवाह हैं। आवेदक/अभियुक्त को पूर्व में दर्ज मुकदमे के संबंध में पूछताछ करने के लिए थाने पर बुलाया था आवेदक/अभियुक्त अपने पत्नी के साथ थाने पर आया तो वहां के पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारा सत्यापन हो रहा है अपना आधार कार्ड अपने घर का फोटो व रिश्तेदारों का डिटेल लिख कर ले आओ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उक्त दस्तावेज को लेने पत्नी घर चली गई तब आवेदक/अभियुक्त के पास से फर्जी बरामदगी दिखाकर अज्ञात में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया। आवेदक/अभियुक्त काफी समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित घटना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्त का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसे किसी मामले में दोषसिद्ध किया गया हो ऐसा अभियोजन का कोई तर्क नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त झुन्नु मीर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र को मु0 50,000/- (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,

2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक-17.03.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.17 16:09:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court